न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
**JUSTICE**
सत्यमेव जयते

cecoedecon



# माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
**JUSTICE**
सत्यमेव जयते

# अधिनियम को समझें

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो की **वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था।** इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था। इसके अनुसार बच्चों को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने की आवश्यकता है और सरकार वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करने व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
**JUSTICE**
सत्यमेव जयते

# अधिनियम के अंतर्गत अधिकार

**अधिनियम के अनुसार, कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता, जो अपनी कमाई या अपने स्वामित्व वाली संपत्ति से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अधिनियम के अंतर्गत अपने बालक या नातेदार से मासिक भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का हकदार होगा**

असमर्थ वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता भरण-पोषण के लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं। यदि वे अशक्त हैं तो उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या संगठन भी आवेदन कर सकता है। अधिनियम के अंतर्गत **मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम ₹10,000 राशि प्रतिमाह** तक भत्ता देने का आदेश किया जा सकता है।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE
सत्यमेव जयते
cecoedecon
अपने अधिकार को पहचानो!
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण टोल फ्री
हेल्पलाइन नंबर: 15100, 9928900900